संख्या:71/2021/812/35-4-2021

प्रेषक,

विवेक,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

जिलाधिकारी
बलरामपुर/गोण्डा/श्रावस्ती।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 25 मार्च, 2021

विषय: वित्तीय वर्ष 2020-21 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत बलरामपुर/गोण्डा/श्रावस्ती से सम्बंधित 18 कार्यो को रू. **16031.25** लाख (जी0एस0टी0 सहित) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. **5027.04** लाख (रूपये पचास करोड़ सत्ताईस लाख चार हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर निम्नांकित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इन कार्यों के लिये लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग कार्यदायी संस्था है:-

(रू0 लाख में)

क्र	जनपद		कार्य	कार्यदायी संस्था	लम्बाई (किमी0)	लागत	प्रथम किश्त में अवमुक्त धनराशि
1.	**बलरामपुर**	1.	ग्राम सभा रेहरा माफी में पाटनदीन के खेत से जूनियर हाईस्कूल तक लेपन का कार्य	ग्रा0अ0वि0	1.500	107.81	53.91
		2.	कमो पक्की सड़क से ताकिया व महुआ घटवा काली मन्दिर तक सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कार्य।	लो0नि0वि0	3.500	265.08	132.54
		3.	देवीपाटन मुख्य द्वार से देवीपाटन गांव, राजमहल होते हुए परसपुर तक सम्पर्क मार्ग एवं आबादी भाग में सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य।	लो0नि0वि0	3.270	315.06	157.53
		4.	बेलहा गौरा मार्ग से आबर समय माता मन्दिर तक नव निर्माण कार्य	ग्रा0अ0वि0	1.110	92.15	46.08
		5.	महराजगंज ललिया मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के अवशेष भाग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य	लो0नि0वि0	6.00	2220.85	555.21
		6.	बिलोहा जहदरिया बेनीनगर मार्ग से चौकिया होते हुए टेंगनहवा तक सम्पर्क मार्ग एवं लघु सेतु निर्माण का कार्य।	ग्रा0अ0वि0	1.00	256.83	128.42
		7.	भोजपुर संतरी चौराहे से भोजपुर होते हुए मानपुर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	ग्रा0अ0वि0	2.600	222.11	111.06
2.	**गोण्डा**	8.	पी0डी0 बंधा से बाबाकुटी, हनुमानपुरवा, भाटनपुरवा होते हुए बसगईनपुरवा तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	लो0नि0वि0	10.00	812.00	406.00
		9.	कटहा खजुरी मार्ग से सम्मयमाता स्थान दर्जीगांव, दमगोड़वा होते हुए गोसाईपुरवा, दर्जीगांव, मौनीपुरवा, चौबेपुरवा होते हुए बल्ली पुरवा तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	लो0नि0वि0	11.00	868.41	434.21

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र	जनपद		कार्य	कार्यदायी संस्था	लम्बाई (किमी0)	लागत	प्रथम किश्त में अवमुक्त धनराशि
		10.	मोतीगंज दुर्जनपुर बगुलही मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के अवशेष भाग (चैनेज 11.700 से 18.000 तक) का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	लो0नि0वि0	6.300	1288.40	322.10
		11.	गोण्डा बहराइच मार्ग चौराहे मिश्रौलिया पुलिस चौकी से वाया डीजल डिपो सर्किट हाउस मार्ग तक निर्माण कार्य।	ग्रा0अ0वि0	1.300	343.03	171.52
		12.	देवपसिया सेल्हरी मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य	लो0नि0वि0	12.50	2484.89	621.22
		13.	मैजापुर मिल मार्ग से सिंहपुर होते हुए नकहा छप्परतल्ला होकर तुर्का सम्पर्क मार्ग का लेपन कार्य।	ग्रा0अ0वि0	2.550	190.89	95.45
		14.	छपिया मन्दिर मार्ग से रनियापुर गांव इन्दरवर्मा के गांव तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य	लो0नि0वि0	6.50	446.73	223.37
		15.	इकौना-विशेश्वरगंज-गंगा जमुनी-रामपुर दुबहा मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के चैनेज 4.000 से 14.000 एवं चैनेज 34.880 से 38.180 में चौड़ीकरण (इण्टएरमीडिएट लेन) एवं सुदृढीकरण का कार्य	लो0नि0वि0	13.300	2367.68	591.92
		16.	वजीरगंज टिकरी मार्ग (अन्य0 जिला मार्ग) तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य	लो0नि0वि0	7.10	1653.23	413.31
		17.	कटरा किशुनदासपुर मार्ग से अकबरपुर, मैनपुर, दुर्जनपुर चौराहा मार्ग तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य	लो0नि0वि0	9.250	1939.45	484.86
3.	**श्रावस्ती**	18.	बहराइच बलरामपुर मार्ग से ग्राम एकघरवा जगदीश शुक्ला के भटठे से इंछापुरवा होते हुए सुबखा बाबा भूतेश्वर मंदिर तक सड़क निर्माण कार्य	ग्रा0अ0वि0	2.012	156.65	78.33
				योग:	**100.79**	**16031.25**	**5027.04**

1- स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।

2- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना/योजना के अंतर्गत अनुमोदित कार्य योजना में सम्मिलित है।

3- निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व स्थलीय निरीक्षण के उपरांत वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार विस्तृत आगणन तैयार करते हुए कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी।

4- समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

5- कार्यों का निर्माण, लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में ही पूर्ण कर लिया जाये तथा भविष्य में प्रायोजना का कोई पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा। कार्यों के लागत आगणन में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार एवं मार्ग की लम्बाई में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6- कार्यों की भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा जिलाधिकारी द्वारा नियमित रूप से की जायेगी। व्यय/प्रगति सम्बंधी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी का होगा और उनके द्वारा स्वीकृत कार्यों की भौतिक/वित्तीय प्रगति का विवरण नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

7- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

8- त्वरित आर्थिक विकास योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों से संबंधित शासनादेश संख्या-29/2018/1084/35-4-2018 दिनांक 24 सितम्बर,2018 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9- प्रश्नगत कार्यो के लिये नियमानुसार 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।

10- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग -1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24 मार्च,2020, शासनादेश दिनांक 07 अप्रैल,2020, दिनांक 11 अप्रैल,2020, दिनांक 18 मई,2020 एवं दिनांक 24 जुलाई,2020 का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11- प्रश्नगत निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा स्वीकृत आगणन (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार किये जायेंगे।

12- ई-टेण्डरिंग/ई-प्रोक्योरमेण्ट प्रणाली लागू किये जाने से सम्बन्धित शासनादेश संख्या- 1067/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई, 2017 तथा शासनादेश संख्या– 1107/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई, 2017 एवं तदविषयक शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

13- जिलाधिकारी द्वारा निर्माण कार्य को प्रारम्भ कराने के लिए स्वीकृत आगणन के अनुसार उक्त कार्यों हेतु अधिकृत कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

14- अपेक्षित औपचारिकतायें पूर्ण कर जिलाधिकारी द्वारा कार्यों हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।

15- परियोजनाओं के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

16- स्वीकृत की जा रही धनराशि संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।

17- स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च,2021 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती ह□तो उसे 31 मार्च, 2021 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव नियोजन अनुभाग-4 को 31 मार्च, 2021 तक प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

18- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2021 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा ।

19- कार्य स्थल पर त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ-साथ मुख्य विवरण शिला पट्टिका/बोर्ड के रूप में जन-साधारण की जानकारी हेतु प्रदर्शित किये जायेंगे।

20- जिलाधिकारी द्वारा समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य भी सुनिश्चित कराया जायेगा और इसके लिए कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय किया जायेगा। कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर कार्यदायी संस्था उसके लिये उत्तरदायी होगी।

21- कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अंतर्गत किया जायेगा ।

22- यथावश्यक द्विरावृत्ति से बचने के लिए कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात वीडियोग्राफी भी करायी जाय।

23- अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

24- प्रयोजनान्तर्गत 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 अनुमन्य कर दी गई ह॥ कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।

25- कार्य से सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की समाप्ति के पश्चात नियमानुसार सम्बंधित प्रशासकीय विभाग को किया जायेगा। संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा सृजित परिसम्पत्ति के रख-रखाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु त्वरित आर्थिक विकास योजना से धनराशि अनुमन्य नहीं होगी।

2- उपर्युक्त कार्यों पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40-लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-0301-ग्रामीण क्षेत्रों में नई सड़को के लिए एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-5-489(।)/दस-2021 दिनांक: 25 मार्च,2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(विवेक)
विशेष सचिव।

संख्या:71/2021/812(1)/35-4-2021 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज(इलाहाबाद)।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज(इलाहाबाद)।
3- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ0प्र0शासन।
4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0शासन।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, देवीपाटन मण्डल।
8- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
9- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग।
10- मुख्य विकास अधिकारी, बलरामपुर/गोण्डा/श्रावस्ती।
11- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बलरामपुर/गोण्डा/श्रावस्ती।
12- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, बलरामपुर/गोण्डा/श्रावस्ती।
14- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, बलरामपुर/गोण्डा/श्रावस्ती।
15- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विवेक)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया ह॰ अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही ह॰।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती ह॰।